अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 96, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 22 जुलाई, 2009
NO. 96, PORT BLAIR, WEDNESDAY, JULY 22, 2009

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 जुलाई, 2009

सं. 90/2009/फा. सं. 3–85/2008–09/टी.एस./डी.एफ.— अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 की धारा 2 की उप धारा (ई) और धारा 4 की उप धारा (एम) के साथ पठित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 2 की उप धारा 1 (बी) और (सी) के साथ पठित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 01.06.2004 की अधिसूचना सं. 103/2004/फा.सं. 5–1(276)/2002–विकास–I के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 में और दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 222/2007/फा.सं. 5–1(276)/2002–विकास–I के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2007 में निम्न संशोधन करते हैं और अधिसूचित करते हैं, जो इस प्रकार है :–

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–

(क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जा सकेगा ।

(ख) ये इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. संशोधनः–

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007 (इसके बाद जिसे उक्त नियमावली कहा गया है) के संशोधन 2(1) (ख) तथा (ग) में उदधृत परिभाषाएं और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के अध्याय 1, 2(ई) और अध्याय – III, 4(एम) में उद्धृत परिभाषा के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग में कार्यरत अधिकारी जो सहायक मत्स्य निदेशक के पद से कम का नहीं होगा, भारतीय तट रक्षक में कार्यरत अधिकारी जो अधिकारी सहायक इंजीनियर/प्रधान यांत्रिक, उत्तम अधिकारी/उत्तम सहायक इंजीनियर, प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक इंजीनियर, उप कमांडेंट के रैंक से कम का नहीं होगा और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग के सभी थाना प्रभारी ।

(ख) "मैरीन इंजीनियर" से अभिप्रेत है अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग में कार्यरत इंजीनियर, जो जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद से कम का न हो, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा विभाग में कार्यरत इंजीनियर जो सहायक मैरीन इंजीनियर के पद से कम का न हो और भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, भारत सरकार में कार्यरत इंजीनियर जो सर्विस इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद से कम न हो ।

(ग) "मत्स्य अधिकारी" से अभिप्रेत है मत्स्य विभाग में कार्यरत सहायक मत्स्य रक्षक, मत्स्य उप निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य अधीक्षक, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पद का अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग में प्रधान सिपाही, सहायक उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक के पद का पुलिस अधिकारी और वन विभाग में प्रधान वन रक्षक, वन दरोगा, उप रेंजर और वन रेंजर के पद का अधिकारी ।

Scanned by CamScanner

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2007 की धारा 2 की उप धारा 3(ए), क्रमांक (ii), (iii) और (iv) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :–

3(ए)(ii) नया मत्स्यहरण लाइसेंस जारी करने से पूर्व मत्स्य विभाग का प्राधिकृत अधिकारी अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग से आवेदकों का पूर्ववृत्त की जांच करवाएगा ।

(iii) "भारतीय तट रक्षक और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों का विनियम और नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी के सभी अधिकार प्राप्त होंगे लेकिन मत्स्यहरण जहाजों का पंजीकरण, मत्स्यहरण जहाजों को लाइसेंस देने और पहचान पत्र जारी करने का कार्य इसमें शामिल नहीं होगा" ।

(iv) सभी मत्स्यहरण लाइसेंस 31 मार्च तक नवीकृत किए जाने चाहिए तथापि मत्स्यहरण लाइसेंस इस नियमावली के साथ संलग्न संशोधित अनुसूची– III में निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ एक माह के भीतर अर्थात् 30 अप्रैल तक नवीकृत किया जा सकेगा । परन्तु 30 अप्रैल के बाद मत्स्यहरण लाइसेंस रद्द माना जाएगा ।

(v) मत्स्यहरण जलयानों में कार्यरत नाविक सदस्यों/मछुवारा/गोताखोर अंडमान तथा निकोबार मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 के तहत पंजीकृत किसी भी मत्स्यहरण जलयान से मछली पकड़ सकते हैं ।

ह./–
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह,
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

Scanned by CamScanner

अनुसूची – III

कृपया नियम 4(एच) तथा (एम) देखें

मत्स्यहरण लाइसेंस, मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण के लिए देय शुल्क तथा मत्स्यहरण लाइसेंस के नवीकरण में विलम्ब के लिए जुर्माना

क्र. सं.	मत्स्यहरण जलयान का विवरण	मत्स्यहरण लाइसेंस/ मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण	लाइसेंस के नवीकरण में एक माह या उसके भाग के विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क सहित जुर्माना
1.	**यन्त्रीकृत/मोटरीकृत मत्स्यहरण जलयान**		
	i) 30 बी.एच.पी. तक (15 मीटर ओ.ए.एल. तक के जलयान)	रु. 100/–	रु. 10/–
	ii) 30 बी.एच.पी. से ऊपर (15 मीटर ओ.ए.एल. ऊपर के जलयान)	रु. 1000/–	रु. 100/–
	iii) नाविक सदस्यों/मछुआरों/चालकों के लिए प्रति व्यक्ति	रु. 10/–	रु. 2/–
	iv) क्रीड़ा मत्स्यहरण जलयान	रु. 2000/–	रु. 100/–
2.	**गैर यन्त्रीकृत बोट**		
	i) चप्पू और पाल से चलाए जाने वाले गैर यन्त्रीकृत देशी नौका	रु. 25/–	रु. 5/–
	ii) नाविक सदस्यों/मछुआरों/गोताखोरों के लिए	रु. 10/–	रु. 2/–

टिप्पणी : विलम्ब शुल्क सहित मत्स्यहरण लाइसेंस का नवीकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक स्वीकार्य होगा । 30 अप्रैल के बाद मत्स्यहरण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा ।

ह./–
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) भूपेन्द्र सिंह,
उप राज्यपाल (प्रशासक),
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

Scanned by CamScanner

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 22nd July, 2009

No. 90/2009/F.No.3-85/2008-09/TS/DF.— In exercise of the powers conferred under section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003) read with sub-section (1) (b) and (c) of section 2 of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007 read with sub-section (e) of section 2 and sub-section (m) of section 4 of Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following amendment in the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004, as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F.No.5-1(276)/2002-Dev.I, dated 01/06/2004 and Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2007 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 222/2007/F.No.5-1(276)/02-Dev. I, dated 12th October, 2007 and notifies as follows:

1. Short Title and Commencement:-

(a) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2009.

(b) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of Andaman and Nicobar Administration.

2. Amendment:-

In the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007 (herein after called said Rules), definition appearing in amendment 2 (1)(b) and (c) and Andaman and Nicobar Islands Marine Rules, 2004, definitions appearing in chapter-I, 2 (e) and in chapter – III, 4 (m) shall be substituted as under:

(a) "Authorized Officer" means an Officer not below the rank of an Assistant Director of Fisheries in the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration, an Officer not below the rank of Adhikari Sahayak Engineer/Pradhan Yantrik, Uttam Adhikari/ Uttam Sahayak Engineer, Pradhan Adhikari/Pradhan Sahayak Engineer, Deputy Commandant in the Indian Coast Guard and all Station House Officers of Police Department, Andaman and Nicobar Islands.

(b) "Marine Engineer" means an Engineer not below the rank of Junior Engineer (Mechanical) in the Department of Fisheries, Andaman and Nicobar Administration, not below the rank of Assistant Marine Engineer in the Department of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration and an Engineer not below the rank of Service Engineer (Mech.) in the Fishery Survey of India, Govt. of India.

(c) "Fishery Officer" means an officer of the rank of Assistant Fisheries Guard, Sub-Inspector of Fisheries, Fisheries Inspector, Supt. of Fisheries, Sr. Fisheries Inspector and Assistant Fisheries Development Officer in the Department of Fisheries, Police Officer of the rank of head Constable, Asst. Sub-Inspector of Police, Sub-Inspector of Police in the Police Department, Andaman and Nicobar Islands or Forest Officer of the rank of Head Forest Guard, Forester, Dy. Ranger and Forest Ranger in the Forest Department.

Scanned by CamScanner

In the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2007, under sub-section 3 (a) of section 2, sl. (ii), (iii), (iv) and (v) are inserted as follows:

3(a) (ii) Before issuance of fresh fishing license, the Authorized Officer of the Department of Fisheries shall ascertain the antecedents of the applicants from the Police Department of Andaman and Nicobar Islands.

(iii) "The Authorized Officers from Indian Coast Guard and Police Department, A&N Islands shall have all powers of Authorized Officer under the Regulation and Rules except registration of fishing vessel licensing of the fishing vessel and issuance of ID card."

(iv) All fishing licence to be renewed by 31st March, however, fishing licence can be renewed with late fee at the rate prescribed in the amended schedule III annexed with these rules but within one month i.e., by 30th April. After 30th April, the fishing license shall stand cancelled.

(v) The Crew members/ fisherman/ divers engaged onboard fishing vessel can do fishing from any registered fishing vessel registered under Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004.

Sd/-
Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh,
Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor

Sd/-
(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)

Scanned by CamScanner

SCHEDULE – III

See Rule 4 (h) & (m)

FEES PAYABLE FOR FISHING LICENCE, RENEWAL OF FISHING LICENCE AND PENALTY FOR DELAY IN RENEWAL OF FISHING LICENCE

Sl. No.	Description of fishing vessel	Fishing licence/renewal of fishing licence	Penalty with late fee for delay in renewal of licence by one month or part thereof
1.	**Mechanical/Motorized fishing vessel**		
	i) Upto 30 BHP (vessels upto 15 meters OAL)	Rs. 100/-	Rs. 10/-
	ii) Above 30 BHP (vessels above 15 meters OAL)	Rs. 1000/-	Rs. 100/-
	iii) For crew members/fishermen/drivers per head	Rs. 10/-	Rs. 2/-
	iv) Sport fishing vessel	Rs. 2000/-	Rs. 100/-
2.	**Non–mechanized boat**		
	i) Non-mechanized country crafts powered by oars and sails	Rs. 25/-	Rs. 5/-
	ii) For crew members/fishermen divers	Rs. 10/-	Rs. 2/-

Note : Renewal of fishing licence with late fee is admissible upto 30th April of each year. After 30th April, the fishing licence shall stand cancelled.

Sd/-
Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh,
Lieutenant Governor (Administrator),
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/-
(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)

Scanned by CamScanner